ग्राम पंचायत कुठेड़ा, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर-174026
के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024
भाग-1

1. **प्रस्तावना:-**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कुठेड़ा, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत कुठेड़ा में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री ज्योति प्रकाश	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री धर्म दास बंसल	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री रवि कुमार	01.04.2022 से 14.11.2023
2	श्री अशोक कुमार	15.11.2023से 16.08.2023
3	श्री रवि कुमार	17.08.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कुठेड़ा, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में) (₹)
1	4.6	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों में भारी अंतर	0.48
2	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	54.56
3	7.1	पंचायत का गृहकर वसूली हेतु शेष	0.29
4	8.1	निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना भुगतान	1.13
5	8.2	स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.28
6	9.1	निर्माण सामग्री पर रिक्तियों (voids) की कटौती न करना।	0.13
7	9.3	औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	1.64
8	9.4	व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	8.35
9	9.6, 9.7	14वें वितायोग अंतर्गत दोहरा भुगतान करना।	0.25
10	9.10	सामग्री का अनियमित क्रय करना।	5.81

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत कुठेड़ा, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक और श्री पुनीत कुमार (आर्टिकल असिस्टेंट) द्वारा दिनांक 15.10.2024 से 21.10.2024 तक ग्राम पंचायत कुठेड़ा के कार्यालय में किया गया। आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	04/2022	03/2023
2023-24	12/2023	02/2024

अस्वीकरण *:- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत कुठेड़ा, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 476/2024 दिनांक 21/10/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत कुठेड़ा द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 461/2024 दिनांक 15.10.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "1"** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (प्लानिंग) (Offline), स्वच्छ भारत मिशन (Offline), संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Offline), विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना(Online), राजीव आवास योजना(Offline), हरियाली अंश योजना (Offline), सामुदायिक राहत निधि (CRF)(Offline), 14वें वित्तायोग (Offline), 15वें वित्तायोग (Offline), व मनरेगा (Online) शीर्ष का रख-रखाव किया गया था।

4.1 स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित) :-

ग्राम पंचायत कुठेड़ा, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक की स्वयं स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	1255265.50	569241.00	1824506.50	804339.50	1020167.00
2023-24	1020167.00	745667.00	1765834.00	573819.00	**1192015.00**

4.2 अनुदान :-

ग्राम पंचायत कुठेड़ा, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	5885794.49	3923213.35	9809007.84	4929975.54	4879032.30
2023-24	4879032.30	3185504.60	8064536.90	2608139.60	**5456397.30**

4.3 संकलित वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत कुठेड़ा, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	7141059.99	4492454.35	11633514.34	5734315.04	5899199.30
2023-24	5899199.30	3931171.60	9830370.90	3181958.60	**6648412.30**

4.4 दिनांक 31.03.24 को ग्राम पंचायत कुठेड़ा, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	राशि (₹)
1	स्वयं स्त्रोत	HPSCB KUTHEDA	11310103147	373535.50
2	अनुदान (प्लानिंग)	HPSCB KUTHEDA	11310103164	701615.00
3	अनुदान (प्लानिंग)	HPSCB KUTHEDA	11310103162	125535.00
4	अनुदान (प्लानिंग)	HPSCB KUTHEDA	11310104626	0.00
5	अनुदान (प्लानिंग)	HPSCB KUTHEDA	11310106981	0.00
6	अनुदान (प्लानिंग)	HPSCB KUTHEDA	11310106985	0.00
7	स्वच्छ भारत मिशन (TSC)	HPSCB KUTHEDA	11310106984	215638.30
8	राजीव आवास योजना	HPSCB KUTHEDA	11310106987	31910.00
9	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	HPSCB KUTHEDA	11310106983	140502.00
10	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	HPSCB KUTHEDA	11310106982	662.00
11	हरियाली अंशदान	HPSCB KUTHEDA	11310103167	206941.00
12	कम्युनिटी रिलीफ फण्ड	HPSCB KUTHEDA	11310106980	1023.00
13	14वां वित्तायोग	HPSCB KUTHEDA	11310108511	179669.19
14	15वां वित्तायोग	HPSCB KUTHEDA	11310109561	4718962
		योग		**6695992.99**
		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत)		213.00
		योग (1+2)		6696205.99

4.5 दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-

1)	स्व: स्त्रोत –दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "**क**" का अंतिम शेष	1192015.00
2)	अनुदान –दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "**ख**" का अंतिम शेष	5456397.30

3)	दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता **"क" व "ख"** का कुल अंतिम शेष (1+2)	**6648412.30**
4)	दिनांक 31.03.24 को पंचायत के **बैंक** खातों / पैरा 4(2) के अनुसार खाता **"क" व "ख"** का कुल अंतिम शेष	6695992.99
5)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	213.00
	योग (4+5)	**6696205.99**
	अन्तर (3-6)	**47793.69**

4.6 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेषों में ₹0.48 लाख के भारी अन्तर का समाधान न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.24 को रोकड बही एवं बैंक के अंतिम शेष में राशि **₹47793.69** का अन्तर निम्न विवरणानुसार बैंक में कम पाया गया।

क्रम संख्या	रोकड़ बही का नाम	दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही का अन्तशेष (₹)	दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष का योग (₹)	अन्तर (₹)
1	Own Source & GIA (Planning Head)	1192015	1200685	8670.00 (बैंक में अधिक)
2	SBM	214143.30	215638	1494.70 (बैंक में अधिक)
3	MPLADS	657	662	05.00 (बैंक में अधिक
4	VKVNY	139528	140502	974.00 (बैंक में अधिक)
5	RAY	31689	31910	221.00 (बैंक में अधिक)
6	WATERSHED DEVELOPMENT FUND (Share)	205506	206941	1435.00 (बैंक में अधिक)
7	CRF	1016	1023	07.00 (बैंक में अधिक)
8	14 FC	178183	179669.19	1486.19 बैंक में अधिक
9	15FC	4685675	4718962	33287.00 बैंक में अधिक
	योग			47580
	हस्तगत राशि			213
	कुल योग			47793

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 471/2024 दिनांक 19/10/2024 के प्रत्युत्तर में उक्त अंतर की राशि बारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या 146 दिनांक 14/10/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही का बैंक खातों से राशि **₹47793.69** अंतर का पता लगाकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा" ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार अंतर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्वः-स्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 461/2024 दिनाँक 15.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 103 दिनांक 21.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश **शून्य** था।

अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹54.56 लाख का उपयोग शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 461/2024 दिनाँक 15.10.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट"1")** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में **₹5456397.30** की राशि उपयोग हेतू शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 461/2024 दिनाँक 15.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 103 दिनांक 21.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये, तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परन्तु अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये।

इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 461/2024 दिनाँक 15.10.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 103 दिनांक 21.10.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न

अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक है। परन्तु अनुदानों के आदेश/स्वीकृति पत्र इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 461/2024 दिनाँक 15.10.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 103 दिनांक 21.10.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे।

अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर राशि ₹0.29 लाख वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, वजट) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 461/2024 दिनाँक 15.10.2024 के क्रम संख्या 6 के प्रतिउत्तर में सलंग्न **(परिशिष्ट "2")** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान गृहकर की देय राशि **₹ 29250** की वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	0	1233	100	123300	123300	11900	111400
2023-24	111400	1225	100	122500	233900	204650	**29250**

उक्त सारणी में वर्णित तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.13 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना:-

हिमाचल प्रदेश सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि **₹12900** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण सलंग्न (**परिशिष्ट "3"**) में दिया गया है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 472/2024 दिनांक 19.10.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 105 दिनांक 21.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹**12900** जिसे राजकीय कोष में जमा करवाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा"।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि के जमा व इन्द्राज उपरान्त अंकेक्षण को भी शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

8. व्यय

8.1 निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना राशि ₹1.13 लाख का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD & PR)-DB-Genral/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुन: दिये गये निर्देशानुसार आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत अब से रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा करवाने के उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **(परिशिष्ट "4")** अनुसार राशि ₹113982.10 का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

अनियमितता में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 473/2024 दिनांक 19/10/2024 द्वारा आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव द्वारा पत्र संख्या 105 दिनांक 21.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि" उक्त पत्र में वर्णित राशि ₹113982.10 रॉयल्टी की कटौती बिलों से नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटा जाएगा अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा तथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगीं "। प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान नहीं किया जाना अपेक्षित था।

अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरुध एवं समय समय पर जारी निर्देशों के विरुद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को उनके पूर्ण विवरण सहित या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी प्रकार के

संशय की स्तिथि में इस प्रकरण को सम्बंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 स्त्रोत पर ₹0.28 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एकल अनुबंध में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति सलंग्न **(परिशिष्ट "5")** अनुसार राशि **₹ 1409032.15** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर राशि **₹28180.64** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 474/2024 दिनांक 14/10/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 105 दिनांक 21.10.2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं से ₹**1409032.15** की सामग्री की आपूर्ति करने पर नियमानुसार बनती **₹28180.64** GST,TDS की कटौती बिलों में से नही की गई है, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा तथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगीं। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः जी.एस.टी.(टी.डी.एस.). की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए, अथवा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 निर्माण सामग्री से ₹0.13 लाख की रिक्तियों (Voids) की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्कस स्पेसिफिकेशन (2.1.2.13) के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम.एम. से लेकर 20 एम.एम. तक 5% व 25 एम.एम. से लेकर 40 एम.एम. तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम.एम. से लेकर 75 एम.एम. तक 12.5% की दर से रिक्तियों (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 03/2023 व 02/2024 में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई निर्माण सामग्री की मात्रा से निर्धारित दर से रिक्तियों (Voids) की कटौती नहीं की गई थी, जिस कारण आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **(परिशिष्ट "6")** अनुसार राशि ₹12578.75 का अधिक भुगतान किया गया जोकि अनियमित है। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 475/2024 दिनांक 19.10.2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 105 दिनांक 21.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि " उक्त पत्र में वर्णित कार्य की अधिक भुगतान राशि ₹12578.75 की वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी।" अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त रिक्तियां (voids) की कटौती की अधिक भुगतान राशि की वसूली व इसके जमा व इन्द्राज उपरान्त अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

9.2 ₹0.03 लाख की रेत व बजरी का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित मास 03/2023 व 02/2024 में मनरेगा शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्यों के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं की जाँच दौरान पाया गया कि **निम्न विवरणानुसार** निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत द्वारा **रेत व बजरी** के रूप में **₹3204 (₹1532 + ₹1672)** का अधिक भुगतान किया गया।

(i) Work Name :- C/o Path from Kuldeep Singh house toward S.C. basti Sanction Amount - 80000/- Total Expenditure amount- 80000/-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**मात्रा (m3)**	**रेत (CFT)**	**बजरी (CFT)**
20865 (05)	CC 1:3:6	8.66	**143.7** (8.66 x .47 x 35.31)	**272** (8.66 x .89 x 35.31)
योग			**143**	**272**
रजिस्टर पृष्ठ संख्या (37) द्वारा जारी खपत मात्रा			**150**	**300**
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री			**6**	**28**
क्रय दर			50 (Per CFT)	44 (Per CFT)
अधिक भुगतान (6 x 50) & (28 x 44)			**300**	**1232**
कुल भुगतान			**1532**	

(ii) Work Name : - C/o Path from School Kuthera to wards pipal bayar Sanction Amount - ₹420797 Total Expenditure amount- ₹32785			
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**मात्रा (m3)**	**बजरी (CFT)**
	CC 1:3:6	17.89	**562** (17.89 x .89 x 35.31)
योग			**562**
रजिस्टर पृष्ठ संख्या (36) द्वारा जारी खपत मात्रा			**600**
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री			**38**
क्रय दर			44 (Per CFT)
अधिक भुगतान (38 x 44)			1672
कुल भुगतान			**1672**

ग्राम पंचायत द्वारा अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 477/2024 व 487/2024 दिनांक 21.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र 105 दिनांक 21/10/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित मनरेगा शीर्ष में रेत व **बजरी** के रूप में ₹**3204** की अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगीं।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्यों की राशि ₹3204 का किया गया अधिक व् गलत भुगतान को सक्षम अधिकारी की जाँच एवं सत्यापन सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 राशि ₹ 1.64 लाख की औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान चयनित माह 03/2023 व 02/2024 में निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा राशि ₹**163630** की सामग्री का क्रय निविदाएँ (Quotations) आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	रोकड़ वही पृष्ठ	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	14FC	C/o community toilet Gp kuthera	18	1581 03/23	Prakash Chand Sharma & Co. Kuthera, Ghumarwin	tmt iron and mastrol	89050.00
2	14FC	C/o park shiv mandir gp kuthera	20	031 03/23	Divyansh Industries & cloth house, patta Chowk, Ghumarwin,	cement bench	74580.00
Total							**163630.00**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 481/2024 दिनांक 21.10.24 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 105 दिनांक 21.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित **₹163630** की औपचारिकताएं पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगीं।" प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए नियमानुसार ही स्टोर / स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.4 राशि ₹8.35 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मास 03/2023 व 02/2024 में **(सलंग्न परिशिष्ट "7") अनुसार** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत राशि **₹834573** का भुगतान किया गया था जिससे सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 483/2024 दिनांक 21/10/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। सचिव द्वारा पत्र 105 दिनांक 21/10/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित

माप पुस्तिकाओं को अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा" । नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

9.5 उचित बिल प्राप्त किये बिना राशि ₹ 0.09 लाख भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अनुदान (प्लानिंग) शीर्ष से **निम्न विवरणानुसार ₹9320** का भुगतान किया गया। लेकिन आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे, संपरीक्षा,संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (2) की अवहेलना है।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	भुगतान का विवरण	राशि (₹)
1	GIA (Planning)	Office expenditure GP Kuthera	Refreshment bill	660
2	GIA (Planning)	Office expenditure GP Kuthera	Refreshment bill	660
3	14FC	C/O Path from Kuthera to cheed Dabri	carriage	8000
		Total		**9320**

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 482/2024 दिनांक 21.10.2024 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र 105 दिनांक 21/10/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा। अतः उक्त आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त करना सुनिश्चित किये जाएँ व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.6 14वें वितायोग के अंतर्गत ₹0.15 लाख का दोहरा भुगतान :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित माह 03/2023 व 02/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि मस्ट्रोल संख्या 08 दिनांक 23.02.2023 द्वारा लाभांशी श्री लखन सिंह और श्री शंकर सिंह को राशि **₹15400** मजदूरी के रूप में दो बार भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 478/2024 दिनांक 21/10/2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 105 दिनांक 21/10/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया कि

उक्त पत्र में वर्णित कार्यों के अधिक भुगतान राशि ₹**15400** की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा। अतः ग्राम पंचायत द्वारा किये गए अनुचित भुगतान के जमा व इन्द्राज को शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये। ग्राम पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि कोई भी भुगतान जोकि निविदाओं में निर्धारित है, केवल उसी के आधार पर भुगतान किया जाये तथा भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने हेतु कारगर कदम उठाये जाये।

9.7 14वें वितायोग के अंतर्गत ₹0.10 लाख का दोहरा भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित माह 03/2023 व 02/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि मस्ट्रोल संख्या 08 दिनांक 23.02.2023 द्वारा लाभांशी श्री मुन्ना लाल को राशि **₹9800** मजदूरी के रूप में दो बार भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 479/2024 दिनांक 21/10/2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 105 दिनांक 21/10/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों के अधिक भुगतान राशि ₹**9800** के भुगतान की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा। अतः ग्राम पंचायत द्वारा किये गए अनुचित भुगतान की वसूली सम्बंधित से करके उक्त राशि के जमा व इन्द्राज को शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये तथा भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने हेतु कारगर कदम उठाये जाये।

9.8 राशि ₹0.77 लाख के मस्ट्रोलों का भुगतान अनियमितताओं में करना:-

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49 (1)(2) की अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान में प्रधान और सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर नहीं किये गये थे।

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 93 (1) की अवहेलना करते हुए संकर्म समिति का गठन नहीं किया गया था।

(iii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 102 (5) की अनुपालना में मस्ट्रोलों में दर्ज उपस्थितियों को किसी भी अधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित नहीं किया था।

(iv) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 108 की अनुपालना में सतर्कता समिति का गठन भी नहीं किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 485/2024 दिनांक 21-10-2024 द्वारा पंचायत को निम्न विवरणानुसार अवगत करवाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा कहा गया कि अनियमितताओं की पुनरावृति भविष्य में नहीं की जाएगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जाएगा।

क्रम संख्या	मद	मस्ट्रोल संख्या	कार्य का नाम	विवरण	राशि (₹)
1	MNREGA	8791, 9543, 10653	C/O R/W Sanjeev Kumar S/O Kirpa Ram in Vill Kuthera	Labour Payment	14336
2	MNREGA	1088, 2216, 3609, 3609	C/O R/W Raj Kumar S/O Dharam Singh Vill Jolplakhin	Labour Payment	24915
3	MNREGA	7720, 9020	C/O RWH tank Meera Devi W/O Bishan Dass Sarag	Labour Payment	11024
4	MNREGA	7119, 7399, 9022	C/O RW Sunil Kumar S/O Lekh Ram Vill. Jolplakhin		26924
				Total	**77199**

अत: उपरोक्त त्रुटियों के दृष्टिगत पंचायत स्तर पर उचित छानबीन की जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि इसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। भविष्य में नियमानुसार ही मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

9.9 15वें वितायोग के अंतर्गत राशि ₹0.23 लाख सीमेंट का अग्रिम भुगतान करना।

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित मास 03/2023 व 02/2024 में करवाए गए निर्माण कार्यों में **राशि ₹23245** से सम्बन्धित अग्रिम भुगतान सीमेंट के रूप में किया गया था परन्तु इसकी आपूर्ति प्राप्त नहीं की गई थी:-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	फर्म का नाम व पता	क्रय हेतु अग्रिम भुगतान के सामान का विवरण	राशि (₹)
1	14 FC	C/O Drain and road from fateh singh house to suresh katoch house	HPSCSCS LTD GHUMARWAIN	CEMENT	23245
				Total	**23245**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 484/2024 दिनांक 21.10.2024 द्वारा पंचायत को अवगत करवाया गया, जिसके प्रतिउतर में सचिव द्वारा अपने पत्र 105 दिनांक 21.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि पंचायत द्वारा सीमेंट के अग्रिम भुगतान बारे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः आपूर्तिकर्ता से पंचायत के कार्यों हेतु सीमेंट के लिए अग्रिम भुगतान करने उपरान्त भी सीमेंट नहीं लिया गया है। पंचायत द्वारा सीमेंट न लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को शीघ्र अतिशीघ्र अवगत करवाया जाए।

9.10 ₹5.81 लाख की सामग्री का अनियमित क्रय :-

हि0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्याः फिन(सी)ए(3)5/2004, दिनांक 12.02.2024 के अनुसार सरकारी विभागों, बोर्ड/कॉर्पोरेशन इत्यादि द्वारा विभिन्न वस्तुओं का क्रय करने से पूर्व इनकी हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रक के Rate Contract अथवा GeM Portel पर अनुपलब्धता व दरों की जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त सचिव (आर0डी0 एवं पी0आर0) हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या पी0सी0एच0–एचसी (10) एफ0एफ0सी0 विविध–60819–978, दिनांक 13.11.2018 के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण सामग्री जैसे पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करने से पूर्व भी हि0प्र0 सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा Gem Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 03/23 व 02/24 में निम्न विवरणानुसार राशि ₹581364 की सामग्री का क्रय हि0प्र0 सरकार के भण्डार नियन्त्रक के Rate Contract अथवा Gem Portal से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से तीन नंबर निविदाएं आमन्त्रित करके किया गया था जोकि अनियमित है:—

क्र0सं0	मद	वा0 / बिल संख्या	माह	विवरण	राशि (₹)
1	14th FC	146, 147, 148, 149	02 / 23	10000 पेवर ब्लॉक @ 17 प्रति पेवर	170000
2		7058, 7059	02 / 23	VC System	411364
				कुल	**581364**

अतः इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या 486 / 24 दिनांक 21.10.24 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 105 / 24 दिनांक 21.10.24 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि सामग्री का क्रय नियमों से अनभिज्ञ होने के कारण निविदाऐं आमन्त्रित करके किया गया था। परन्तु भविष्य में सामग्री के क्रय पर नियमों का ध्यान रखा जाएगा। अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुसरण करना आपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न अभिलेख/रजिस्टरों का रख रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपतिजनक है।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
3	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
5	बजट प्राकलन	11	37
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
7	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो से सम्बन्धित अभिलेख	30	89
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)

10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
12	मस्ट्रोल स्टॉक/ निर्गम रजिस्टर	--	102

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 461/2024 दिनांक 21.10.2024 द्वारा पंचायत को अवगत करवाया गया, जिसके प्रतिउतर में, सचिव द्वारा अपने पत्र 105 दिनांक 21.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों को बना लिया जाएगा और अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जायेगा। यह अनियमित व आपत्तिजनक है।

अतः अंकेक्षण को किये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 461/2024 दिनांक 21.10.2024 के क्रम संख्या 9 की अनुपालना में पत्र संख्या 105 दिनांक 21.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गए स्टोर / स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:**- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है अपितु समय-2 पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं/नियम प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुये छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 **निष्कर्ष:**- लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

का०/प्रति
20 JAN 2025

587- 591

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(12)70/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि०प्र०।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कुठेड़ा, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर हि०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

20 JAN 2025

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

का०/प्रति

Annaxure 1 पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत कुठेड़ा, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित) :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	1255265.50	569241.00	1824506.50	804339.50	1020167.00
2	2023-24	1020167.00	745667.00	1765834.00	573819.00	**1192015.00**

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	5885794.49	3923213.35	9809007.84	4929975.54	4879032.30
2	2023-24	4879032.30	3185504.60	8064536.90	2608139.60	**5456397.30**

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	7141059.99	4492454.35	11633514.34	5734315.04	5899199.30
2	2023-24	5899199.30	3931171.60	9830370.90	3181958.60	**6648412.30**

सचिव
ग्राम पंचायत कुठेड़ा
विकास खण्ड घुमारवीं
जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

23
24

ग्राम पंचायत कुठेड़ा, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

स्वच्छ भारत मिशन (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	200734.30	6067.00	206801.30	0.00	206801.30
2	2023-24	206801.30	7342.00	214143.30	0.00	**214143.30**

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)(Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	86.00	32950.00	33036.00	32578.00	458.00
2	2023-24	458.00	199.00	657.00	0.00	**657.00**

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना(vkvny) (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	132485.00	2259.00	134744.00	0.00	134744.00
2	2023-24	134744.00	4784.00	139528.00	0.00	**139528.00**

राजीव आवास योजना (RAY) (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	29705.00	897.00	30602.00	0.00	30602.00
2	2023-24	30602.00	1087.00	31689.00	0.00	**31689.00**

हरियाली अंशदान (watershed Share) (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	192637.00	5823.00	198460.00	0.00	198460.00
2	2023-24	198460.00	7046.00	205506.00	0.00	**205506.00**

COMMUNITY RELIEF FUND (CRF)(Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	100962.00	100962.00	81084.00	19878.00
2	2023-24	19878.00	554.00	20432.00	19416.00	**1016.00**

14वें वित्तायोग(Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	3008106.19	610973.00	3619079.19	3474006.19	145073.00
2	2023-24	145073.00	138364.00	283437.00	105254.00	**178183.00**

24/25

सचिव
ग्राम पंचायत कुठेड़ा
विकास खण्ड घुमारवीं,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

15वें वित्तायोग (Online)की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2322041.00	1962805.00	4284846.00	141830.00	4143016.00
2	2023-24	4143016.00	1165036.00	5308052.00	622377.00	**4685675.00**

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	1200477.35	1200477.35	1200477.35	0.00
2	2023-24	0.00	1861092.60	1861092.60	1861092.60	**0.00**

सचिव
ग्राम पंचायत कुठेड़ा
विकास खण्ड घुमारवीं,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

Annaxure 2 पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत कुठेड़ा, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर							
दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	0	1233	100	123300	123300	11900	111400
2023-24	111400	1225	100	122500	233900	204650	**29250**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कुठेड़ा
विकास खण्ड घुमारवीं
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

Annaxure 3	पैरा संख्या 7.2	में संदर्भित					
ग्राम पंचायत कुठेड़ा, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर							
(विवाह पंजीकरण सूचि) (01.04.2022 से 31.03.2024)							
क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशी (₹)	प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशी (₹)
1	अजय कुमार सपुत्र जगदीश	10/03/202	22/04/2022	162128	400	400	0
2	विपन कुमार सपुत्र कर्म सिंह	21/04/2022	28/04/2022	162136	200	200	0
3	पंकज शर्मा सपुत्र जगदीश ला	21/04/2022	05/06/2022	162141	200	200	0
4	प्रिश कुमार सपुत्र तारा चन्द	20/04/2022	05/09/2022	162145	200	200	0
5	अभिशेख जसवाल सपुत्र रामचन्द	27/04/2022	05/09/2022	162146	200	200	0
6	अंकित कुमार पुत्र सोहन सिंह	23/04/2022	18/05/2022	162152	25	25	0
7	अनुप कुमार सपुत्र बुद्धि चन्द	21/04/2022	26/05/2022	162167	50	50	0
8	अजय कुमार सपुत्र ज्ञान चन्द	20/05/2022	06/09/2022	162192	200	200	0
9	विकास कैलास शर्मासपुत्र कैलाश चन्द	18/04/2022	13/06/2022	162194	400	400	0
10	चिराग कुमार सपुत्र अश्वनीकुमार	31/05/2022	13/06/2022	162193	200	200	0
11	नितिल कटोच सपुत्र रामेशर कटोच	14/05/2022	16/06/2022	162199	400	400	0
12	राजेश कुमार सपुत्र कृष्ण दास	13/06/2022	23/06/2022	162206	200	200	0
13	विरेन्द्र कुमार सपुत्र बलदेव राज	05/06/2022	13/07/2022	162208	400	400	0
14	उदय प्रताप सिंह सपुत्र बृज लाल	07/06/2022	16/07/2022	162213	200	200	0
15	शिव कुमार सपुत्र कमलेश कुमार	24/06/2022	16/07/2022	162214	200	200	0
16	संजीव कुमार सपुत्र बृज लाल	07/08/2022	19/07/2022	162218	200	200	0
17	तनूज कुमार सपुत्र जगर नाथ	08/04/2022	08/10/2022	162231	25	25	0
18	सुनील कुमार सपुत्र जगदीश	03/08/202	15/08/2022	162233	200	200	0
19	रणजीत सिंह सपुत्र प्यारे लाल	08/03/2022	22/08/2022	162251	200	200	0
20	विरेन्द्र कुमार सपुत्र राज कुमार	20/07/2022	24/09/2022	162300	400	400	0
21	कमल कपिल सपत्र अमर नाथ	27/09/2022	14/10/2022	162310	200	200	0
22	हितेश कुमार सपुत्र देव राज	26/09/2022	14/10/2022	162311	200	200	0
23	आशीश ठाकुर सपुत्र नन्द लाल	28/11/2022	12/12/2022	162325	200	200	0
24	विशाल कुमार सोनी सपुत्र सुरेश कुमार	12/02/2022	28/12/2022	162334	200	200	0
25	विजय कुमार सपुत्र विष्णु राम	22/02/2023	03/01/2023	162395	200	200	0
26	अंकुश चन्देल सपुत्र नरेन्द्र कुमार	22/02/2023	03/10/2023	162409	200	200	0
27	अश्वनी कुमार सपुत्र भुपेन्द्र सिंह	03/09/2023	14/03/2023	162416	200	200	0
28	दलेल सिंह सपुत्र भगत राम	12/06/1998	18/03/2023	162421	400	400	0
29	सदीप कुमार सपुत्र रमेश चन्द	18/02/2023	24/04/2023	162438	400	400	0
30	पंकज कुमार सपुत्र देश राज	05/03/2023	05/09/2023	162450	200	200	0
31	संदीप कुमार सपुत्र होशियार सिंह	05/02/2023	05/11/2023	162451	200	200	0
32	संदीप कुमार सपुत्र इन्द्र सिंह	13/05/2023	15/05/2023	162452	200	200	0
33	विशाल कुमार सपुत्र कश्मीरी लाल	05/12/2023	30/05/2023	162456	200	200	0
34	मोहित शर्मा सपुत्र जगर नाथ	05/03/2023	31/05/2023	162457	200	200	0
35	जोगेश कुमार कटोच सपुत्र प्रितम सिंह	06/12/2023	23/06/2023	162459	200	200	0
36	राज कुमार शुक्ला सपुत्र वेद प्रकाश	23/06/2023	30/06/2023	162461	200	200	0
37	पंजज सपुत्र देवी राम	23/06/2023	07/07/2023	162463	200	200	0
38	अमन महेता सपुत्र सुरजीत सिंह	07/01/2023	07/10/2023	162465	200	200	0
39	विशाल ठाकुर सपुत्र रमेश कुमार	07/10/2023	20/07/2023	162470	200	200	0
40	कमलेश चन्द सपुत्र विजय सिह	22/10/1984	25/09/2023	162499	400	400	0
41	विशाल कुमार वर्मा सपुत्र सोहन सिंह	21/09/2023	26/09/2023	162500	200	200	0
42	अंकुर कुमार सपुत्र बुद्धि चन्द	25/09/2023	21/10/2023	162509	400	400	0
43	रामपाल सपुत्र रतन लाल	20/10/2023	11/08/2023	162514	200	200	0
44	सुमित सिंह सपुत्र पवन कुमार	14/11/2023	21/11/2023	162520	200	200	0
45	धीरज महैता सपुत्र प्रभात सिंह	11/09/2023	22/11/2023	162521	200	200	0
46	सतीश कुमार सपुत्र सोहन सिंह	26/10/2023	22/11/2023	162522	200	200	0
47	रमनदीप सपुत्र रोशन लाल	22/11/2023	28/11/2023	162523	200	200	0
48	राजेश कुमार सपुत्र सुन्दर	22/11/2023	12/05/2023	162535	200	200	0
49	अजय कुमार सपुत्र मान सिंह	13/12/2023	23/01/2024	163328	400	400	0
50	देव राज सपुत्र कलि राम	31/01/2024	02/03/2024	163351	200	200	0
51	राहुल शर्मा सपुत्र प्रकाश चन्द	02/04/2024	02/12/2024	163403	200	200	0
52	सुमन कुमार सपुत्र जीत राम	14/02/2024	19/02/2024	163448	200	200	0
53	विवेक कुमार सपुत्र प्रवीन कुमार	19/02/204	26/02/2024	163473	200	200	0

27 28

54	विकाश कुमार सपुत्र राज कुमार	19/02/2024	28/02/2024	163475	200	200	0
55	रवि कुमार सपुत्र सतीश कुमार	30/01/2024	03/02/2024	163484	400	400	0
56	प्रवीन कुमार सपुत्र रमेश चन्द	03/07/2024	03/12/2024	163499	200	200	0
Total					**12900**	**12900**	**0**

ग्राम पंचायत कुठेड़ा
विकास खण्ड घुमारवीं,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

Annaxure 4 पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत कुठेड़ा, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर

आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना भुगतान करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024)

Ser No	Scheme	Name Of Work	Bill/Voucher No	Name of Vendor	Material Items	Quantity (cum)	Conversion Factor	Qty (Mt)	Rate per tonne (₹)	Total (₹)
	Mgnrega	C/O CATTLE SHED HOSHIYAR SINGH S/O RAMDITTA BHUWANA.	140	THAKUR FURNITURE HOUSE	SAND	4.24	1.54	6.52	80	522.36
	Mgnrega	C/O RETANING WALL NEAR THE HOUSE OF DEVENDER DEV S/O GHANDHI RAM VILL. BHAGOT.	141	THAKUR FURNITURE HOUSE	SAND	3.39	1.54	5.22	80	417.64
	Mgnrega	C/O CATTLE SHED BIMLA DEVI W/O SOHAN LAL VILL. KUTHERA	139	THAKUR FURNITURE HOUSE	SAND	7.5	1.54	11.55	80	924.00
	Mgnrega	C/O R.W.H. TNK PRBHAT SING H S/O RATTAN SINGH VILL. BHUWANA	135	THAKUR FURNITURE HOUSE	SAND	2.24	1.54	3.45	80	276.00
	Mgnrega	C/O W.H. STRUCTURE /TANK PUSHPENDER SINGH S/O MUNSHI RAM JOLPLAKHIN.	196	CHNDEL BUILDING MTERIAL	SAND	4.75	1.54	7.31	80	585.20
	Mgnrega	C/O RWH STRUCTOUR/ TANK BHAG SINGH S/O GANGA RAM VILL. TIHRI.	197	CHNDEL BUILDING MTERIAL	SAND	2.97	1.54	4.57	80	365.60
	Mgnrega	C/O W.H.TANK BHAGAT RAM S/O TIHDU RAM GHALYANA.	174	CHNDEL BUILDING MTERIAL	SAND	2.97	1.54	4.57	80	365.60
	Mgnrega	C/O R.W.H.STRUCTURE / TANK JAGAR NATH S/O MAST RAM VILL. BHAGOT.	171	CHNDEL BUILDING MTERIAL	SAND	3.82	1.54	5.88	80	470.62
	Mgnrega	C/O R.W.H. STRUCTURE /TANK MELA RAM S/O LOHKU RAM KUTHERA.	173	CHNDEL BUILDING MTERIAL	SAND	3.39	1.54	5.22	80	417.60
	Mgnrega	C/O R.W.H. STRUCTURE/ TANK JAGDEV CHAND S/O BUDHI SINGH BHAGOT	179	CHNDEL BUILDING MTERIAL	AGG	3.54	1.62	5.73	80	458.40
	Mgnrega	C/O RWH STRUCTURE/ TANK JAGDISH CHAND S/O POHLO RAM MASSOUR.	166	CHNDEL BUILDING MTERIAL	SAND	6.37	1.54	9.8	80	784.00
	Mgnrega	C/O RWH STRUCTURE/ TANK JAGDISH CHAND S/O POHLO RAM MASSOUR.	166	CHNDEL BUILDING MTERIAL	AGG	8.86	1.62	14.35	80	1148.25
	Mgnrega	C/O W.H.TANK/ STRUCTURE MAYA DEVI W/O ROOP SINGH GHULAN.	178	CHNDEL BUILDING MTERIAL	AGG	3.2	1.62	5.18	80	414.40
	Mgnrega	C/O PROTECTION WALLNEAR THE HOUSE OF MEENA KUMARI W/O RAKESH KUMAR VILL. BHUWANA.	195	CHNDEL BUILDING MTERIAL	AGG	2.29	1.62	3.7	80	296.00

28

	Mgnrega	C/O W.H. STRUCTURE /TANK VINOD KUMAR S/O JWALA RAM VILL. JOLPLAKHIN.	176	CHNDEL BUILDING MTERIAL	SAND	1.58	1.54	2.43	80	194.40
	Mgnrega	C/O W.H. STRUCTURE /TANK RAMESH KUMAR S/O PURAN CHAND VILL. JOLPLAKHIN.	172	CHNDEL BUILDING MTERIAL	SAND	3.4	1.54	5.23	80	418.88
	Mgnrega	C/O R.W.H. STRUCTURE /TANK SATISH KUMAR S/O GANDHI RAM VILL. MALOH.	180	CHNDEL BUILDING MTERIAL	AGG	2.37	1.62	3.83	80	306.40
	Mgnrega	C/O R.W.H. STRUCTURE /TANK INDER SINGH S/O RIDKU RAM VILL. TIHRI.	194	CHNDEL BUILDING MTERIAL	AGG	2.27	1.62	3.68	80	294.40
	Mgnrega	C/O RETAINING WALL GEETA DEVI W/O NIKKA RAM KUTHERA	193	CHNDEL BUILDING MTERIAL	AGG	4.1	1.62	6.64	80	531.36
	Mgnrega	C/O PAKKA ROAD MAIN ROAD TOWARDS BHUWANA SIDE.	168	CHNDEL BUILDING MTERIAL	SAND	7.08	1.54	10.9	80	872.00
	Mgnrega	C/O PAKKA ROAD MAIN ROAD TOWARDS BHUWANA SIDE.	168	CHNDEL BUILDING MTERIAL	AGG	10.62	1.62	17.2	80	13.76
	14 FC	Repair and Restoration of Path Budhi Singh house Towards GHS Jolplkhin	Bill No 136 d 31/01/2022	Chandel Buliding Mterial	Sand	10.62	1.54	16.35	80	1308.38
					Agg	21.24	1.62	34.4	80	2752.70
	14 FC	Up Gradation Shamshnghat Massour	BillNo 135 Dt 01/01/2022	Chandel Buliding Mterial	sand	9.91	1.54	15.26	80	1220.91
					Agg	11.32	1.62	18.33	80	1467.07
	14 FC	C/O Path From Kuthera Towards Ched Bowri	Bill No. 134 Dt 01/12/2021,	Chandel Buliding Mterial	Sand	11.04	1.54	17	80	1360.12
					Agg	6.23	1.62	10.21	80	816.80
	14 FC	C/O Park and R/Wall Near Panchayat ghar Kuthera	Bill. No. 112 Dt 02/05/2022,Bill	Thakur Furniture House	Sand	35.4	1.54	54.51	80	4361.28
					Agg	66.97	1.62	108.49	80	8679.31
					Boulder	16.99	2.24	38.05	80	3044.60
	14 FC	R/O Road Main Road Towards School Ghumarda	Bill. No.105 Dt.30/04/2022, Bill. No. 106	Thakur Furniture House	Sand	30.01	1.54	46.21	80	3697.23
					Agg	74.79	1.62	121.15	80	9692.78
					Boulder	19.25	2.24	43.12	80	3449.60
	14 FC	C/O Park and Playground Massour Ward no. 9	Bill. No. 119 Dt. 02/03/2022,	Thakur Furniture House	Sand	8.01	1.54	12.33	80	986.85
					Agg	16.05	1.62	26	80	2080.08
					Boulder	9.91	2.24	22.19	80	1775.87
	14 FC	C/O Park Near Shiv Mandir Kuthera	Bill. No. 152 Dt.24/02/2023	Thakur Furniture House	Sand	4.24	1.54	6.52	80	522.36
					Agg	7.64	1.62	12.37	80	990.00
					Boulder	8.49	2.24	19.01	80	1521.40
	14 FC	Repair and Restoration of road School Ghumarda towards Shamshn ghat	Bill. No. 127 Dt.01/10/2022, Bill. No. 128	Thakur Furniture House	Sand	22.65	1.54	34.88	80	2790.48
					Agg	45.31	1.62	73.4	80	5872.17
					Boulder	26.9	2.224	60.25	80	4820.48
	14 FC	Repair and Restoration of Path Brij Lal House Towards Villge Jolplkhin	Bill. No. 122 Dt. 01/10/2022	Thakur Furniture House	Sand	2.83	1.54	4.35	80	348.65
					Agg	5.66	1.62	9.16	80	733.53
	14 Fc	Repair and Restoration of Path From School gate Towards Bazar Kuthera	Bill. No. 144 Dt.24/02/2023, Bill No. 145 Dt.24/02/2023,	Thakur Furniture House	Sand	18.4	1.54	28.33	80	2266.88

			Bill. No. 153 Dt. 24/02/2023		Agg	16.99	1.62	27.52	80	2201.90
					Boulder	11.32	2.24	25.37	80	2028.54
	14 FC	Up Gradation of Shamshanghat Kuthera	Bill. No. 190 Dt. 20/01/2022, Bill. No. 198	Chandel Buliding Mterial	Sand	7.7	1.54	11.98	80	958.49
					Agg	7.08	1.62	11.46	80	917.56
	14 Fc	C/O Link Rod From Main Road Bridge Towards Shamshanghat Kuthera		Thakur Furniture House	Sand	24.07	1.54	3.06	80	2765.42
					Agg	45.31	1.62	73.4	80	5872.17
					Boulder	8.49	2.24	19.01	80	1521.40
	14FC	C/O Community Toilet Male/Female Panchayat Ghar Kuthera	Bill. No. 126 Dt. 01/10/2022, Bill No. 162 Dt.24/02/2023	Thakur Furniture House	Sand	12.74	1.54	19.61	80	1569.56
					Agg	16.99	1.62	27.52	80	2201.90
					Boulder	8.49	2.24	19.01	80	1521.40
	15 FC	C/O Road Fateh Singh House Towards Suresh Kumar Katoch House	Bill. No. 193 Dt. 27/06/2023, Bill. No. 186	Thakur Furniture House	Sand	9.06	1.54	13.95	80	1116.19
					Agg	17.7	1.62	28.67	80	2293.92
					Boulder	19.82	2.24	44.39	80	3551.74
	15 FC	C/O Nali From Deep Kumar Cowshed Towards the land of Prithvi Chand	Bill. No. 192 Dt.3006/2023	Thakur Furniture House	Sand	6.23	1.54	9.59	80	767.53
					Agg	12.46	1.64	20.43	80	1634.75
	MMGPY	C/O Path Kuldeep House towards Sc Basti Masour	Bill. No. 184 Dt. 25/06/2023	Thakur Furniture House	Sand	4.24	1.54	6.52	80	522.36
					Agg	8.49	1.62	13.75	80	1100.30
					Boulder	12.74	2.24	28.53	80	2283.00
	CRF	Repair Community Center Ghalyana	Bill. No. 192 Dt. 28/02/2022,	Thakur Furniture House	Sand	7.78	1.54	11.98	80	958.49
					Agg	12.03	1.62	19.48	80	1559.08
Total										**113982.10**

सचिव
ग्राम पंचायत कुठेड़ा
विकास खण्ड घुमारवीं,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

32 31

Annaxure 5 पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत कुठेड़ा, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर

(GST/TDS) की वसूली न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024)

क्रम संख्या	चयनित माह	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	TDS योग्य राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01/04/2022 TO 31/03/2023	chandel building material vill bhel, po kuthera, ghumarwin, bilaspur	SAND, AGG, BOULDER	251730.00	251730.00	5034.60
		M S Thakur furniture House	SAND, AGG, BOULDER	1157302.15	1157302.15	23146.04
2	01/04/2023 TO 31/03/2024	NIL			0	0.00
Total					**1409032.15**	**28180.64**

33 32

Annaxure 6 पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत कुठेड़ा, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर

पत्थर की खरीद में रिक्तियों (voids) की कटौती न करने वारे (चयनित माह 03/23 और 03/24)

क्रम संख्या	वाउचर/ बिल संख्या	फार्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा (CFT)	मूल्य दर (CFT)	मूल्य (₹)	कटौती दर %	रिक्तियां (Voids)(₹)
1	186 06/23	C/o drain and road from fateh singh house to suresh katoch house	Boulders	700	29	20300	12.5	2537.50
2	157,158 02/23	C/o road from main road bridge to shamshanghat kuthera	Boulders	300	29	8700	12.5	1087.50
3	129,155 10/22	C/o road from main road to shamshanghat kuthera	Boulders	1230	29	35670	12.5	4458.75
4	152 02/23	C/o park shiv mandir kuthera	Boulders	300	29	8700	12.5	1087.50
5	110 05/22	C/o ground and park in massour	Boulders	340	29	9860	12.5	1232.50
6	126 10/22	C/o community toilet Gp kuthera	Boulders	300	29	8700	12.5	1087.50
7	145 02/23	C/o path from school to kuthera market	Boulders	300	29	8700	12.5	1087.50
Total						**100630**	**12.5**	**12578.75**

ग्राम पंचायत कुठेड़ा
विकास खण्ड घुमारवीं,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

34 33

32

Annaxure 7 पैरा संख्या 9 में संदर्भित

ग्राम पंचायत कुठेड़ा, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर

माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 03/23 और 03/24)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	रोकड़ वही पृष्ठ	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	14FC	C/o road from main road bridge to shamshanghat kuthera	17	273798 03/23	hpscsc ltd ghumarwin	cement	422053
2	14FC	C/o community toilet Gp kuthera	18	1581 03/23	Prakash chand sharma & co. kuthera, ghumarwin	tmt iron and mastrol	69496
3	14FC	C/o community toilet Gp kuthera	18	1581 03/23	Prakash chand sharma & co. kuthera, ghumarwin	tmt iron and mastrol	213336
4	14FC	C/o Path from kutheda to cheed babri	21	175 12/21	Chandel building materials bhel, kuthera, ghumarwin	sand,aggri, iron	129688
Total							**834573**

सचिव
ग्राम पंचायत कुठेड़ा
विकास खण्ड घुमारवीं,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

38 34

33